| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>अमरसिंह कालून्धा बनाम लो.सू.अ. ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर )<br>सू.अ.अ. अपील संख्या 144/2019 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03.09.19 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अमरसिंह कालून्धा पता 34/3, दूरसांचार कॉलानी, सुभाष नगर पालरोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.06..19 में उसके द्वारा (1) वर्ष 2012 में चेयरमेन पद हेतु कृषि उपज मण्डी(अनाज) मण्डोर मण्डी जोधपुर हेतु चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के आवेदन फार्म एवं फार्म के लगने वाले अन्य सभी दस्तावेज, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया | |